न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व प्रार्थना संख्या 92 / 2018

1. गोपाल पुत्र श्री रडमा जी गुर्जर
2. गोगराज पुत्र श्री रडमा जी गुर्जर
3. सावरलाल पुत्र श्री रडमा जी गुर्जर

तीनो जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम चावंडिया ग्राम पंचायत सतावडिया तहसील मसूदा जिला अजमेर ।

————प्रार्थीगण

ब ना म

1 देवाराम पुत्र श्री नारायण गुर्जर
2 छोटू पुत्र श्री हरजी गुर्जर
3 पीरू पुत्र श्री नाथू गुर्जर
4 नाथू पुत्र श्री बलदेव गुर्जर
5 रतना पुत्र श्री कज्जा गुर्जर
6 नारायण पुत्र श्री हीरा गुर्जर
7 पूसा पुत्र श्री मंगना गुर्जर

सभी जाति गुर्जर एवं निवासीगण ग्राम चावंडिया ग्राम पंचायत सतावडिया तहसील मसूदा जिला अजमेर ।

8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, मसूदा, जिला अजमेर।

———अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम

आदेश दिनांकः 25.02.2021

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किए हैं कि मौजा चावंडिया पटवार क्षेत्र चावंडिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जामोला तहसील मसूदा की जमाबन्दी संवत् 2069–2072 के खसरा संख्या 980 रकबा 02–04–10, 1078 रकबा 01–02–10, 1084 रकबा 00–13–10, 1086 रकबा 00–13–00, 1095 रकबा 00–10–00, 1096 रकबा 00–15–00, 1097 रकबा 00–06–00, 1099 रकबा 01–03–00, 1102 रकबा 00–11–00, 1461 रकबा 01–03–00, 1486 रकबा 02–14–00, 1496 रकबा 02–05–10, बीघा भूमियां प्रार्थीगण की खातेदारी में चली आती है जिस पर बिना किसी रोक टोक व बिना बाधा के लगातार काबिज चला आता है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की भूमियां लगते हुए है तथा अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात की सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है, जिस हेतु वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायहित में अत्यंत आवश्यक है। उक्त भूमि पर तहसीलदार महोदय मसूदा द्वारा सीमाज्ञान भी किया जा चुका है किन्तु सीमाकंन पूर्ण रूप से नहीं किया जा सका होने के कारण प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय की शरण में आना पड़ा है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 08 तहसीलदार महोदय को आदेशित किया जावे कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात का मौके पर पत्थरगढ़ी करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.03.24 16:25:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जरिए नोटिस अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई ।

................लगातार

(मोहनलाल खटनावलिया)

प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्षान की सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे। बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बाद अवलोकन पाया कि मौजा चावंडिया पटवार क्षेत्र चावंडिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जामोला तहसील मसूदा की जमाबन्दी संवत् 2069–2072 के खसरा संख्या 980 रकबा 02–04–10, 1078 रकबा 01–02–10, 1084 रकबा 00–13–10, 1086 रकबा 00–13–00, 1095 रकबा 00–10–00, 1096 रकबा 00–15–00, 1097 रकबा 00–06–00, 1099 रकबा 01–03–00, 1102 रकबा 00–11–00, 1461 रकबा 01–03–00, 1486 रकबा 02–14–00, 1496 रकबा 02–05–10, बीघा भूमियां प्रार्थीगण के नाम दर्ज है।

चूंकि वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है जिसमें वे जरिए नाप–चौप पत्थरगढ़ी करवाये जाने के अधिकारी पाए जाते हैं।

अतः प्राथीगर्ण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार मसूदा को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थीगण से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क प्राप्त कर प्रार्थीगण पक्षकारान एंव विवादित खसरान के आस पास के खातेदारान को सूचित कर एंव संबंधित हल्का पटवारी के साथ अन्य दो पास के हल्के के पटवारीयान/भूअभिलेख निरीक्षक की टीम मौजा चावंडिया पटवार क्षेत्र चावंडिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जामोला तहसील मसूदा की जमाबन्दी संवत् 2069–2072 के खसरा संख्या 980 रकबा 02–04–10, 1078 रकबा 01–02–10, 1084 रकबा 00–13–10, 1086 रकबा 00–13–00, 1095 रकबा 00–10–00, 1096 रकबा 00–15–00, 1097 रकबा 00–06–00, 1099 रकबा 01–03–00, 1102 रकबा 00–11–00, 1461 रकबा 01–03–00, 1486 रकबा 02–14–00, 1496 रकबा 02–05–10, बीघा भूमियां का मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 25.02.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
आर०ए०एस०
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.03.24 16:25:08 IST
Reason: SelfAttested